कार्यालय मुख्य अभियन्ता(अ–2–1), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

पत्रांकः।33/अ–2–1/2151–0201/2020 दिनांक–02/03/2020

कार्यालय–ज्ञाप

उ0 प्र0 जल निगम में सहायक अभियन्ता (सिविल), सहायक अभियन्ता(वि0यां0) एवं सहायक अभियन्ता कम्प्यूटर साइन्स/ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन्स/इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स) के 122 रिक्त पद भरने हेतु दिनांक 19.11.2016 को विज्ञप्ति जारी की गई थी। इन पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए निर्णय लिया गया था। उक्त पदों के चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित किये गये जिसमें से 80 अंक लिखित परीक्षा एवं 20 अंक साक्षात्कार हेतु निर्धारित किये गये। अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (सी0बी0टी0) द्वारा सम्पादित किए जाने हेतु जल निगम द्वारा निर्णय लिया गया तथा मेसर्स एपटेक प्रा0लि0, मुम्बई के साथ लिखित परीक्षा आयोजित करने हेतु अनुबन्ध किया गया था।

02. इस अनुबन्ध में मेसर्स एपटेक द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य एवं शर्तों का विस्तृत वर्णन किया गया । इस अनुबन्ध में निम्नानुसार दो प्रावधान थे :–

(i) **Answer key will be displayed for 03(three) days after Test or as instructed by U.P. Jal Nigam. Objections/queries received online should be attended and remedial action to be taken.**

(ii) **After handover of results in soft and hard copies Aptech Limited would retain all the data related to examination for atleast one (1) year and the support would be provided to address candidates queries.**

कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (सी0बी0टी0) में सामान्य रूप से यह प्रक्रिया अपनाई जाती है कि परीक्षा के तुरन्त पश्चात वेबसाइट पर Answer Key अपलोड कराई जाती है। जिससे कि अभ्यर्थी अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकें। यदि कोई प्रश्न या उत्तर त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अभ्यर्थी द्वारा की गई आपत्ति पर निर्णय लेकर अर्हता सूची तैयार की जाती है। इस परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है।

03. सहायक अभियन्ताओं की लिखित परीक्षा (सी0बी0टी0) दिनांक 16.12.2016 को आयोजित की गयी। परन्तु सी0बी0टी0 के पश्चात वेबसाइट पर Answer Key अपलोड नहीं की गयी, जैसा कि अनुबन्ध में प्राविधान के अनुसार यह करना अनिवार्य था। मेसर्स एपटेक द्वारा अभ्यर्थियों से आपत्तियां प्राप्त नहीं की गयी, जिससे अभ्यर्थियों को उनके आपत्तियों का समाधान

करने के अवसर नहीं प्राप्त हुए और साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की सूची निगम को उपलब्ध करा दी गयी। **निगम** ने भी Answer Key अपलोड की गयी या नहीं, बिना पुष्टि करते हुए दिनांक 30.12.2016 से 31.12.2016 के मध्य साक्षात्कार सम्पन्न कराया गया। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़कर अन्तिम परिणाम दिनांक 03.01.2017 को घोषित किया गया तथा उसी दिन ईमेल द्वारा नियुक्ति पत्र कार्यालय ज्ञाप संख्या– 08/अ–2–1/2151–0201/17 दिनांक 03.01.2017, कार्यालय ज्ञाप सं0–09/अ–2–1/2151–0201/17 दिनांक 03.01.2017 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0–10/अ–2–1/ 2151–0201/17 दिनांक 03.01.2017 जारी कर दिये गये।

04. निगम द्वारा की गई इन नियुक्तियों के विरूद्ध अनेक असफल अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ में यह शिकायत की गई कि निगम द्वारा अपनायी गई परीक्षा प्रणाली पारदर्शी नहीं है और इसमें अनेक अनियमितताएं की गई हैं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या–ए/15948/2017 'उत्कर्श सिंह एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य' दिनांक 15.05.2017 द्वारा इस प्रकरण पर जाँच कर कार्यवाही करने के लिए निगम को आदेशित किया गया। लखनऊ खण्डपीठ में एक अन्य रिट याचिका संख्या–9794/एस.बी./2017 गौरव वर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में जल निगम को प्रकरण की जाँच करने के लिए निर्देशित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के इन याचिकाओं में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निगम द्वारा मुख्य अभियन्ता स्तर के दो अधिकारियों द्वारा अलग–अलग जाँच सम्पन्न की गयी।

इन दोनों अधिकारियों द्वारा करायी गयी अलग–अलग जाँचों में सी0बी0टी0 के प्रश्न–पत्र में अनेक त्रुटियाँ पायी गयीं। मेसर्स एपटेक द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रश्न–पत्र में 7 प्रश्न त्रुटिपूर्ण थे, 20 प्रश्नों के उत्तर के सभी विकल्प त्रुटिपूर्ण थे अर्थात Answer Key त्रुटिपूर्ण थी।

विभाग द्वारा कराई गई दोनों जांचों एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों के अनुशीलन के आधार पर सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया void ab-initio होने के कारण निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या–957/अ–2–1/2151–0201–17 दिनांक 11.08.2017 के द्वारा चयन प्रक्रिया को विधि–शून्य (non-est) घोषित किया गया एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–08/अ–2–1/ 2151–0201/17 दिनांक 03.01.17 **ज्ञाप संख्या–09/अ–2–1/ 2151–0201/17 दिनांक 03.01.17 एवं** कार्यालय ज्ञाप सं0–10/अ–2–1/ 2151–0201/17 दिनांक 03.01.2017 को निर्गमन की तिथि अर्थात दिनांक 03.01.2017 से शून्य घोषित की गई।

05. इस आदेश से क्षुब्ध होकर मा0 उच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल की गयीं। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या–

37143/2017 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2017 एवं पुर्नविचार याचिका संख्या–2/2018 में पारित आदेशदिनांक 25.07.2018 के विरूद्ध उ0प्र0 जल निगम ने मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील नं0 11017–11018/2018, उ0प्र0 जल निगम व अन्य बनाम अजीत सिंह पटेल व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय ने जल निगम के विशेष अनुज्ञा याचिका को निस्तारित करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः–

> "..... ***In other words, the appellants must, in the first place, act upon the decision of the High Court dated 28th November, 2017 whereby the order passed by the Chief Engineer dated 11th August. 2017 has been quashed and set aside. The appellants may then proceed in the matter in accordance with law by passing a fresh reasoned order. Indeed, while doing so, the appellants may take into consideration the previous inquiry reports as also all other relevant material/documents which have become available to them. We make it clear that we have not dilated on the efficacy of the opinion given by the experts of "IIIT Allahabad and IIT Kanpur.***
>
> ***15. In view of the above, the challenge to the impugned judgment dated 28th November. 2017 and 25th July, 2017 must fail but with a clarification that the competent authority of Nigam is free to pass a fresh, reasoned order in accordance with law.***
>
> ***16. We may not be understood to have expressed any opinion either way on the merits of the course of action open to the appellants against the respondents including against the other appointees under the same selection process. All questions in that behalf are left open."***

06. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्णय के क्रम में मुख्य अभियन्ता (अ–2–1) ने अपने आदेश दिनांक 04.12.2018 के द्वारा प्रभावित सहायक अभियन्ताओं के कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये।

07. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में निगम के पास यह विकल्प उपलब्ध था कि त्रुटिपूर्ण प्रश्न एवं उनके Answer Key को संज्ञान में लेते हुए लिखित परीक्षा की नई अर्हता सूची बनाई जाए एवं उसके आधार पर पुनः साक्षात्कार **के लिए अर्ह** अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाए। दोनों परीक्षाओं में प्राप्तांक पर सफल अभ्यर्थियों की सूची को अन्तिम किया जाए। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवश्यकता थी कि बेदाग (Un-tainted) व दागी (tainted) अभ्यर्थियों को अलग कराया जाए।

08. यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि जल निगम द्वारा तद्समय आयोजित की गई परीक्षाओं (सहायक अभियन्ता सिविल–113 पद, सहायक अभियन्ता कम्प्यूटर

साइंस एवं इलेक्ट्रिकल्स तथा **इलेक्ट्रॉनिक्स–4** पद, सहायक अभियन्ता वि0यां0– 5 पद, अवर अभियन्ता सिविल–727 पद, अवर अभियन्ता वि0यां0–126 पद, नैत्यिक लिपिक–335 पद एवं स्टेनो–63 पद) में गम्भीर अनियमितता की शिकायत पर उत्तर प्रदेश शासन(गृह विभाग) के पत्र संख्या–966पी/ छः–पु–3–2017– 10 एस0 आई0 टी0/2017 दिनांक 13–07–2017 द्वारा जांच करने के लिए प्रकरण को एस0आई0टी0 को संदर्भित किया गया। प्रारम्भिक जाँच में एस0आई0टी0 द्वारा यह पाया गया कि सी0बी0टी0आयोजित करने वाली संस्था मे0 एपटेक द्वारा मेन सर्वर (Cloud Server) से सम्पूर्ण डाटा Answer Key, Response Sheet आदि विलुप्त कर दी गई है। एपटेक द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि मूल डाटा को सर्वर से विलुप्त कर दिया गया है। यद्यपि अनुबन्ध के प्राविधानित शर्त के अनुसार एपटेक को एक वर्ष तक डाटा को सुरक्षित रखना आवश्यक था।

09. मूल अभिलेख (Original Data) विलुप्त होने की स्थिति में दागी(Tainted) व बेदाग (Untainted) अभ्यर्थियों को अलग करने के लिए जल निगम द्वारा निदेशक, आई0आई0टी0 कानपुर एवं निदेशक, आई0आई0आई0टी0 इलाहाबाद को सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया था।

डॉ0 सत्यदेव नन्दकुमार, सहायक प्रोफेसर, आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 15.09.2018 प्रस्तुत की जो मूलरूप से निम्न प्रकार है:–

Upon examining the contents of the files presented by M/s. Aptech Limited, it appears that the earliest modification date of any file on the CDs is much after December 16, 2016. In a computer based test, the response of the candidates is uploaded in the main server (in the present case the cloud server) immediately after the completion of the exam. Immediately after the examination is over, each candidate's response is secured so that interpolation or manipulation is not possible after wards. In the present case, the submitted file was modified after 16th December, 2016 which raises a strong doubt and it cannot be ruled out that response sheets of candidates were not manipulated during this period. Under the present circumstance, it is not possible to independently confirm that response sheets of candidates in the CDs made available are the same as responses made by the candidates on the date of examination. There is no file in the CDs provided by M/s Aptech Limited with the last modification date equal to the day of the examination. Since I have been informed that the primary data on the cloud server is no longer available, it is difficult for me to corroborate that the data provided on the CDs is an exact copy of the data available immediately upon the completion of the exam.

No audit trail containing the individual mouse clicks and timestamps of the choices made by the students has been provided in the CDs. Such an audit trail will make it easier to corroborate that the answers given by the students in the examination is the same as the answer sheet that they were graded on later. Such an audit trail is helpful to settle any discrepancies

and challenges that the exam candidates may later raise. Since M/s Aptech Limited has not provided such an audit trail, it is not possible for me to corroborate and confirm that there are no discrepancies between the student's actual responses and those, which were used for grading.

Moreover, I am informed that the standard procedures followed in public examinations like JEE (Mains), JEE (Advanced) and GATE, were not followed. It is a customary practice in these exams to publish the answer key to the exam, invite any objections or rebuttals from the candidates, consolidate these responses and subsequently, freeze the answer key. Grading of the answer sheets is done only after such an opportunity has been provided to the candidates. This common practice has not been followed in the present case, which raises doubt as well as apprehension that the response sheets of individual candidates might have been compromised. The errors in answer keys of this particular examination may have been reduced or eliminated all together, had such an opportunity been given before the publication of the results of the computer-based test.

Considering the lack of primary data with M/s Aptech Limited, it is not possible to independently confirm the authenticity of the provided data on the CD, and hence the segregation of tainted & untainted candidates is not possible."

10. डॉ0 आशुतोष मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, आई0आई0आई0टी0, इलाहाबाद द्वारा अपनी आख्या दिनांक 11.09.2018 प्रस्तुत की जो मूलरूप से निम्न प्रकार है:–

" The key observations are enumerated below:

1. **There is no record available of any checksum (MD5/SHA-1/SHA-2, etc.) of the candidates' response being computed immediately after the closure of the exam session for each candidate. Neither was any checksum computed/provided for the response database (which would inevitably have been created as the candidates response web recorded) nor were these checksums (of the candidate responses overall response database) if computed, shared by the service provider with the office of U.P. Jal Nigam (UPJN).**
2. **Concurrent to the terms and conditions of the contract between UPJN and the service provider, the service provider was responsible for generating the question data bank for the online computer-based test. This is enumerated vide item number 7 (seven) on page 3 of the contract document.**
3. **There is no record available from the service provider that it provided the information listed in the contract document, item "h", under the "Exam Operations".**

4. The service provider has also communicated that it has deleted all the data pertaining to the computer-based test from the original server (cloud server)
5. The service provider has submitted the examination data on three compact discs (CDs) to UPJN.
6. None of the files on these CDs have their checksums incorporated/ provided with them.
7. All the candidate response files, presented in HTMI, seem to have been modified on 27th February, 2017, which is almost two months after the appointment letters to the successful candidates were sent out.
8. All the HTML candidate response files that were provided on the CDs contain structured links to images of questions that were presented to the candidate, along with the response of the candidate to each question. However, each and every question shown in these files includes the text "Question not answered", followed by the correct answer and its explanation.
9. The service provider, in their letter dated 25.05.17, have stated that twenty six (26) questions, across all the three disciplines were flawed.
10. Following directions from the Honorable High Court dated 01-05-2017, an enquiry into the issue of flawed questions was undertaken by UPJN and its findings dated 07-07-2018, revealed that twenty-nine(29) objections raised in connection with the validity of the questions of the computer-based test, held merit.

.....

Conclusions :

I. To identify "tainted" candidates essentially implies identifying those candidates, whose response data may have been modified after the end of the computer-based exam. To perform this assessment, the original response data of the candidates (captured immediately at the closure of the examination window) along with relevant checksum information is required. This reference (checksum) information as per observation 1 above, was neither recorded by the service provider nor communicated to UPJN.Therefore, identification and segregation of tainted and non-tainted candidates is not possible.

II. In the absence of information (as per observation1) and by noting observations and the authenticity of the data as and in the form provided (observations 5-6) cannot be accepted and/or verified.

III. The veracity of the entire process in also doubtful in view of observations 7-10

IV. Considering observation 8 above, it stands to reason that the candidate response files, as submitted by the service provider were created, rather hurriedly and certainly not as expected. In the absence of any validating information, there is every possibility that these candidate response files (provided on the CDs) might have been doctored."

11. दोनों विशेषज्ञों से प्राप्त उपरोक्त आख्या से स्पष्ट है कि :–

(i) लिखित परीक्षा दिनांक 16.12.2016 के तत्काल पश्चात अभ्यर्थियों के Response Sheet को सिक्योर(secure) नहीं किया गया। सामान्यतः परीक्षा समाप्त होने के साथ–साथ secure करना आवश्यक है। लम्बे अन्तराल के पश्चात अपलोड होने से यह संदेह होता है कि अभ्यर्थियों के उत्तर में परिवर्तन किया गया हो।

(ii) मेसर्स एपटेक द्वारा सी0डी0 द्वारा जो उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है वह उत्तर पुस्तिका किस अभ्यर्थी की है यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता क्योंकि Primary Data Server से विलुप्त हो जाने के कारण सी0डी0 में दिये गये Data प्रमाणिक नहीं रह गये हैं।

(iii) मेसर्स एपटेक द्वारा सी0डी0 में जो Data उपलब्ध कराया गया है उसके साथ Audit-Trail/Checksum का उल्लेख नहीं है एवं अभ्यर्थियों की Timestamps और Mouse click उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे यह प्रमाणिक हो कि अभ्यर्थी द्वारा जो उत्तर दिया गया था, मूल्यांकन के समय उसी Response sheet का मूल्यांकन किया गया है।

(iv) मेसर्स एपटेक द्वारा सी0बी0टी0 में सामान्य रूप से अपनायी जाने वाली प्रक्रिया (Standard Procedure) जो प्रतिष्ठित परीक्षाएं जैसे *JEE (MAINS), JEE (ADVANCED)* एवं *GATE* आदि में प्रचलित हैं इस परीक्षा में नहीं अपनाया गया। सामान्यतः ऐसे परीक्षा में टेस्ट के तत्काल पश्चात Answer Key वेबसाइट पर डाल दिया जाता है ताकि अभ्यर्थियों से आपत्तियां प्राप्त की जा सके। अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात साक्षात्कार के लिये सफल अभ्यर्थियों की सूची बनायी जाती है।

(v) चूँकि मूल डाटा (Primary Data) उपलब्ध नहीं है अतः सी0डी0 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये डाटा की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः बेदाग एवं दागी अभ्यर्थियों को अलग किया जाना सम्भव नहीं है।

12. उपरोक्त के अनुशीलन से यह स्पष्ट है कि चयन की प्रक्रिया इस सीमा तक दूषित है कि इस परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से दागी एवं बेदाग अभ्यर्थियों को अलग–अलग किया जाना किसी प्रकार से सम्भव नहीं है।

13. इस परीक्षा में 34158 अभ्यर्थी भाग लिये थे तथा 122 अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर नियुक्त किया गया था। जैसा कि दोनों विशेषज्ञों द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि अभ्यर्थियों की रिस्पॉन्स–शीट (उत्तर पुस्तिका) जिस पर मूल्यांकन किया गया है वह अभ्यर्थियों की वास्तविक उत्तर पुस्तिका है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती ऐसी स्थिति में जो अभ्यर्थी सफल नहीं हुए हैं या जो सफल हुए हैं उनकी वास्तविक स्थिति का सटीक आंकलन नहीं किया जा सकता है।

14. यह उल्लेखनीय है कि सहायक अभियन्ता चयन प्रक्रिया के सामान्तर जल निगम द्वारा अवर अभियन्ता की चयन प्रक्रिया मे0 एपटेक लि0 के माध्यम से तत्समय किया गया था। इस परीक्षा में 61,452 अभ्यर्थी भाग लिये थे जिसमें से 853 अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये। इस परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अनेक याचिकाएं योजित की गई थी जिसमें से श्री अमरीश कुमार पाण्डेय की रिट याचिका पर दिनांक 21.05.2019 को मुख्य रूप से मा0 न्यायालय द्वारा निम्न टिप्पणी की गयी थी :–

"This leaves the following options to the Jal Nigam. It may decide to annul the entire selection process if it be of the opinion that the exercise of segregation cannot be undertaken. This would necessarily entail the termination and discontinuance of 656 candidates, who obviously cannot be permitted to reap the fruits of a selection process which as per the respondents themselves failed to meet the requirements of Articles 14 and 16 of the Constitution. The Nigam if it decides to contend that these 656 candidates are to be continued in employment, whould necessarily have to take a decision of how the candidature of other candidates is to be processed further."

माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध स्पेशल अपील(डिफेक्टिव) सं0–625/2019 एवं 626/2019 योजित की गई है जो दिनांक 31.07.2019 को निर्णीत हुई है। मा0 न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश का कार्यकारी अंश निम्नानुसार है:–

"The Jal Nigam being the appointing authority is competent and it is well within its domain to find out and assess whether the examinations had been held fairly and in a transparent manner and subject to the report of the Special Investigation Team (S.I.T.), the analysis of the Forensic Lab or any other material that may be placed before the Jal Nigam to take an appropriate decision. It goes without saying that such decision is to be taken in accordance with law. The Jal Nigam has also been given liberty by the learned Single Judge to undertake the requisite exercise of segregation, if feasible, of the tainted and untainted candidates, therefore, the entire matter is now with the Jal Nigam and the Jal Nigam is to take a conscious and a reasonable decision."

15. ज्ञातव्य है कि पूर्व में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जल निगम द्वारा वर्ष 2016–17 में नियुक्ति में की गयी अनियमितता की जांच करने के लिए प्रकरण को एस0आई0टी0 को संदर्भित किया गया था। इस अवधि में एस0आई0टी0 द्वारा जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायी है जिसकी एक प्रति नगर विकास विभाग द्वारा

शासन के पत्र संख्या–262 /9–3–20–23सी0/2018 दिनांक 18.02.2020 द्वारा जल निगम को उपलब्ध करायी गयी है।

परीक्षा के संचालन में कारित अपराधिक कृत्य के साथ–साथ एस0आई0टी0 मुख्य रूप से निम्न निष्कर्ष पर पहुंची हैं:–

(i) अपराधिक षडयंत्र के तहत मे0 एपटेक लि0 से मिली–भगत कर परीक्षा के प्राइमरी डाटा क्लाउड सर्वर से विलोपित/नष्ट कर दिये गये हैं।

(ii) सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता तथा नैत्यिक लिपिक की परीक्षा दूषित होने के कारण भर्ती निरस्त किये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

16. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.11.2018 में निम्नलिखित टिप्पणी की है :–

"12. The appellants have now relied upon the opinions given by the experts (Indian Institute of Information Technology, Allahabad and Indian Institute of Technology, Kanpur) as noted in the report submitted to this Court dated 20th August, 2018. The same were certainly not available to the appropriate authority before the order was passed on 11th August, 2016. Indeed, the appropriate authority took into account two inquiry reports but the same did not evince that an exercise had already been undertaken to distinguish the tainted and untainted candidates or that it was not possible to do so, so as to uphold the decision of declaring the entire selection process as void. Had the appropriate authority done that exercise and recorded its satisfaction in that behalf, to be reflected in the order passed by the Chief Engineer on 11th August, 2017, the High Court could have then followed the settled legal position expouned in Union of India and Others Vs. O. Chakradhar (2002) 3 SCC 146 – that the nature and extent of illegalities and irregularities committed in conducting a selection will have to be scrutinized in each case so as to come to a conclusion about the future course of action to be adopted in the matter. Further, if the mischief played in so widespread and all pervasive, affecting the result so as to make it difficult to pick out the persons who have been unlawfully benefited or wrongfully deprived of their selection, in such cases, it will neither be possible nor necessary to issue individual show-cause notices to each selectee. In that case, the only option would be to cancel the whole selection process and not limiting to one section of appointees. This view has been restated in the recent decision in Veerendra Kumar Gautam and Others Vs. Karuna Nidhan Upadhyay and Others (2016) 14 SCC 18. The dictum in the two judgments relief upon by the appellants of O. Chakradhar (supra) and Vikas Pratap Singh and Others Vs. State of Chhattisgarh and Others (2014) 6 SCC 644 will be of no avail to the appellants in the fact situation of the present case."

17. निगम द्वारा की गयी दोनों जाँचों में अनेक त्रुटियाँ पायी गयीं। यह भी पाया गया कि लिखित परीक्षा संचालन में मेसर्स एपटेक द्वारा अनुबन्ध का पालन नहीं

किया गया। लिखित परीक्षा के तुरन्त बाद Answer Key & Response Sheet को वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर लम्बे अन्तराल पर अपलोड किया गया जिससे **अभ्यर्थियों के बिना आपत्ति निराकरण** किये साक्षात्कार की सूची जारी कर दी गई। **अनुबन्ध में मूल डाटा को एक वर्ष तक** सुरक्षित रखने के लिए प्राविधान के विपरीत **Main Server से Data विलुप्त कर दिया** गया। जो अभ्यर्थी चयनित हैं उनके द्वारा **लिखित परीक्षा में प्राप्तांक एवं असफल अभ्यर्थियों** को प्राप्त अंक की प्रमाणिकता नहीं रह गई क्योंकि अभ्यथिर्यों के लिखित परीक्षा के पश्चात फाइल को secure नहीं किया गया।

18. आई.आई.आई.टी. इलाहाबाद एवं आई.आई.टी. कानपुर के दोनों विशेषज्ञों द्वारा मत व्यक्त किया गया है कि दिनांक 16.12.2016 के लिखित परीक्षा के लम्बे अन्तराल के पश्चात अभ्यर्थी के Data में मोडिफिकेशन किया गया है। जिससे यह इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस अवधि में अभ्यर्थियों के उत्तर में परिवर्तन न किया गया हो। विशेषज्ञों द्वारा यह भी राय दी गई है कि मेसर्स एपटेक द्वारा उपलब्ध कराई गई सी0डी0 में Audit-Trail/Check-sum **तकनी**की प्रक्रिया न अपनायी जाने से अभ्यर्थियों की Answer Sheet उसी अभ्यर्थी की है या नहीं, को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अतः सी0डी0 में उपलबध कराये गये प्राप्तांक को सम्बन्धित अभ्यर्थी की है, निर्विवाद रूप से नहीं कहा जा सकता। उनके द्वारा यह भी मत व्यक्त किया गया है कि क्लाउड सर्वर से प्राइमरी डाटा विलोपित कर देने के कारण दागी एवं बेदाग अभ्यर्थियों को अलग–अलग नहीं किया जा सकता है।

19. जल निगम राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित उपक्रम है तथा जल निगम द्वारा अपने चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये रखना परम् आवश्यक है परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस चयन प्रक्रिया में मेसर्स एपटेक द्वारा जो प्रक्रिया अपनायी गई वह मान्य नहीं है। इस परीक्षा की प्रक्रिया इतनी दूषित है कि इसके दोषों का निवारण किसी भी प्रक्रिया से सम्भव नहीं है। इसमें योग्य अभ्यर्थी को न्याय दिला पाना सम्भव नहीं है। इस परीक्षा के आधार पर चयनित एवं असफल हुए अभ्यर्थियों में सही रूप से चयन योग्य अभ्यर्थी की पहचान करना सम्भव नहीं है।

20. यह स्वीकार्य है कि इस दोषपूर्ण परीक्षा की प्रक्रिया के आधार पर जो परिणाम घोषित किये गये उसमें जो अभ्यर्थी सूची में स्थान पाये है और जो असफल घोषित किये गये हैं, इनमें सफल–असफल के आधार प्रमाणिक नहीं रह गये हैं। मूल Data को विलुप्त कर दिये जाने से इन दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अलग–अलग किये जाने का आधार नहीं रहा। इससे स्पष्ट है कि आधार उपलब्ध न रहने के कारण अर्ह–अनर्ह अलग–अलग किया जाना सम्भव नहीं है। अतः सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त करने योग्य है तथा ऐसी स्थिति में, व्यक्तिगत रूप से कारण बताओ नोटिस देने की आवश्यकता/औचित्य नहीं रह जाता है।

प्रकरण में विभाग द्वारा कराई गई जांचों, दोनो विशेषज्ञों की आख्या, एस0आई0टी0 जांच के सुसंगत संस्तुति/निष्कर्ष तथा अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त

यह स्पष्ट हुआ है कि प्रश्नगत चयन प्रक्रिया उपर्युक्त कारणों से Void ab-initio है। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में कार्यालय ज्ञाप सख्या 08/अ–2–1/2151–0201/17 दिनांक 03.01.2017, ज्ञाप संख्या–09 /अ–2–1/ 2151–0201/17 दिनांक 03.01. 2017 एवं ज्ञाप सख्या 10/अ–2–1/2151–0201/17 दिनांक 03.01.2017 को निर्गमन की तिथि अर्थात दिनांक 03.01.2017 के प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा प्रश्नगत नियुक्तियाँ उक्त तिथि से शून्य घोषित की जाती है।

उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप जो कि दिनांक 03.01.2017 को निर्गत किये गये थे, निरस्त होने के कारण दिनांक 04.12.2018 को पुनः योगदान करने के जो आदेश प्रसारित किये गये थे, तद्क्रम में निष्प्रभावी हो जाते है।

इस प्रक्रिया के अन्तर्गत नियुक्त सहायक अभियन्ता को अब तक प्राप्त हुए वेतन भत्ते आदि का संरक्षण प्राप्त रहेगा और उनसे इसकी कोई वसूली नहीं की जाएगी। विभागीय दायित्वों के निर्वहन में उनके द्वारा अब तक नियमानुसार किये गये प्रशासनिक एवं वित्तीय कृत्य विधिमान्य रहेंगे।

(आई0के0 श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता(अ–2–1)

पृसं0 एवं दिनांक– उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/संयुक्त प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
2. **समस्त** मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय/क्षेत्र/वि0यां0), निदेशक, सी0 एण्ड डी0 **एस0** /नलकूप विंग/एच0आर0डी0/सी0पी0 यूनिट, उ0प्र0 जल निगम को **इस आशय से प्रेषित कि** अपने क्षेत्रान्तर्गत/अधीनस्थ कार्यालय में वर्ष 2017 में **कार्यालय ज्ञाप सख्या** 08/अ–2–1/2151–0201/17 दिनांक 03.01.2017, ज्ञाप संख्या–09 /अ–2–1/ 2151–0201/17 दिनांक 03.01.2017 एवं ज्ञाप सख्या 10/अ–2–1/2151–0201/17 दिनांक 03.01.2017 द्वारा नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत् सभी सहायक अभियंताओं(सिविल/वि0यां0/कम्प्यूटर साइंस/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन्स/इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स) को ज्ञाप की प्रति प्राप्त कराना सुनिश्चित करें तथा प्राप्ति रसीद अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम।
5. उप प्रबन्धक(विधि), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ/इलाहाबाद।
6. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0 सेल), उ0प्र0 जल निगम लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस कार्यालय ज्ञाप को तत्काल जल निगम की वेबसाईट पर अपलोड कर सम्बन्धित सहायक अभियंताओं को भी ईमेल करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित सहायक अभियंता को(नाम से)।
8. गार्ड फाइल।

27/3/2019
मुख्य अभियन्ता(अ–2–1)